यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), खण्ड-II राज्य कर, हल्द्वानी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), खण्ड-II राज्य कर, हल्द्वानी के माह 04/2016 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आशीष तड़ियाल, ले.प. एवं श्री बी.बी.एम.त्रिपाठी, एवं श्री एस.एस.दरियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 19.01.2019 से 29.01.2019 तक श्री पी.के.गुप्ता, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री निखिल गोस्वामी व.ले.प, एवं श्री अनूप कुमार गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 18.01.2017 से 24.01.2017 तक श्री के.एल.भट्ट, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2015 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह -- से -- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**:

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	893.54
2016-17	1364.25
2017-18	929.75

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष (₹)**		**स्थापना (₹)**		**गैर स्थापना (₹)**		**आधिक्य**	**बचत**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
		इकाई द्वारा आहरम एवं वितरण का कार्य नहीं किया जाता है।						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii) **इकाई को बजट आवंटन** इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....**A**.... श्रेणी की है।

(iv) **विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः**

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- उप आयुक्त- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), खण्ड-II राज्य कर, हल्द्वानी** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), खण्ड-II राज्य कर, हल्द्वानी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: **- --------- को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।**

व्यय: **- ---------- को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।**

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 (ख)

प्रस्तर-1: मिथ्या प्रमाण पत्र "सी" देने के फलस्वरूप अर्थदण्ड का अनारोपण ₹16.07लाख।

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 10 (b) केअनुसार रजिस्ट्रीकृत व्योहारी होते हुए किसी वर्ग का माल क्रय करते समय यह मिथ्या जाहिर करेगा कि माल के ऐसे वर्ग उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के अंतर्गत है तो उक्त अधिनियम की धारा 10 (a) द्वारा शास्ति के रूप में उतनी राशि उस पर अधिरोपित की जाएगी जितनी उस कर के 1.5गुने से अधिक न हो जो उस माल पर उसको किए गए विक्रय के बावत उस दशा में उद्ग्रहीत किया जाता यदि विक्रय उस उपधारा के अंतर्गतआने वाला विक्रय होता।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण)-2 राज्य कर,हल्द्वानी के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि निम्न 5 व्यापारियों द्वारा ऐसी अंतरराष्टीय खरीद के लिए प्रपत्र "सी" निर्गत किये गये थे, जिनके लिए ये व्यापारी केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र के अनुसार अधिकृत नहीं है। इन व्यापारियों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है:-

(1) व्यापारी सर्वश्री सुपर मार्केटिंग टिन0 5006675371 कनफेकशनरी, तेल घी कास्मेटिक चीनी बिस्कुट आदि की खरीद बिक्री के लिए पंजीकृत है। व्यापारी द्वारा संगत वर्ष 2014-15 एवं 15-16 में निम्न वस्तुओं की आयातित खरीद के लिए प्रपत्र "सी" निर्गत किया गया था:-

वर्ष	वस्तु का नाम	क्रय की धनराशि	कर की दर	कर की धनराशि	अर्थदण्ड की धनराशि
2014-15	Hosiery,Hanker chief,Socks	4805449	5%	240272	360408
2015-16	Hosiery,Socks	2811619	5%	140581	210871
	योग	7617068		380853	571279

(2) व्यापारी सर्वश्री एस. एस. एम. इंटरप्राइजेज़ टिन 05008364917 आयल, कुकिंग, ज्वेलरी, गोल्ड डायमंड की खरीद बिक्री के लिए पंजीकृत है। व्यापारी द्वारा संगत वर्ष 2015-16 में निम्न वस्तुओं की आयातित खरीद के लिए प्रपत्र "सी" निर्गत किया गया था।

वस्तु का नाम	क्रय की धनराशि	कर की दर	कर की धनराशि	अर्थदण्ड की धनराशि
नमकीन	1390282	5%	69514	104271
बिस्कुट	2047682	13.5%	276437	414655
योग	3437964		345951	518926

(3) व्यापारी सर्वश्री हिमजोली प्रोडक्ट टिन 05009104445 जेम, हनी, आयुर्वेदिक दवा आदि की खरीद बिक्री के लिए पंजीकृत है। व्यापारी द्वारा संगत वर्ष 2013-14 में निम्न वस्तुओं की आयातित खरीद के लिए प्रपत्र "सी" निर्गत किया गया था।

वस्तु का नाम	क्रय की धनराशि	कर की दर	कर की धनराशि	अर्थदण्ड की धनराशि
Handmade chocolate	643773	13.5%	86909	130364
Photo frame	392700	13.5%	53015	79522
योग	1036773		139924	209886

(4) व्यापारी सर्वश्री पारस ट्रेडर्स टिन नं0 05001619343 पेन की खरीद बिक्री के लिए पंजीकृत है। व्यापारी द्वारा संगत वर्ष 2013-14 में निम्न वस्तुओं की आयातित खरीद के लिए प्रपत्र "सी" निर्गत किया गया था।

वस्तु का नाम	क्रय की धनराशि	कर की दर	कर की धनराशि	अर्थदण्ड की धनराशि
स्पोर्ट्स गुड्स	508626	5%	25431	38146
हैंड मेड सोप	758651	13.5%	102418	153627
डिटर्जेंट केक & पाउडर	396433	13.5%	53518	80277
योग	1663710		181367	272050

(5) व्यापारी सर्वश्री सेरेमिक आर्ट्स,टिन 05010217908 मार्बल स्टोन, मार्बल चिप्स टाइल्स सीमेंट आदि की खरीद बिक्री के लिए पंजीकृत है। व्यापारी द्वारा वर्ष 2014-15 में आयातित वस्तुओं की खरीद के लिए प्रपत्र "सी" निर्गत किया गया था।

वस्तु का नाम	क्रय की धनराशि	कर की दर	कर की धनराशि	अर्थदण्ड की धनराशि
मशीन (fixed Assets)	171750	13.5%	23186	34779

इस प्रकार व्यापारी उक्त पाँच व्यापारियों पर ₹ 1606920/- (571279+518926+209886+272050+34779) अर्थदण्ड आरोपणीय था। जो विभाग द्वारा आरोपित नहीं किया गया था।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा उक्त सभी प्रकरणों में जांचोपरान्त कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया गया है।

अत: अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 16.07 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ख)

प्रस्तर- 2: आयात फार्म का दुरुपयोग किया जाना।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 के अनुसार HAND MADE WASHING SOAP करमुक्त की श्रेणी में आता है।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण)-2 राज्य कर, हल्द्वानी के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री सुपर मार्केटिंग टिन05006675371 कनफेकशनरी, तेल घी कास्मेटिक चीनी बिस्कुट साबुन आदि की खरीद बिक्री के लिए पंजीकृत है। व्यापारी द्वारा संगत वर्ष ,2015-16 में HAND MADE WASHING SOAP की अंतर्राज्यीय खरीद ₹ 1793125/-के लिए प्रपत्र 16 (आयात फार्म) प्रयुक्त किये गये थे,उक्त फार्म की प्रति प्रस्तुत न करके सूची पत्रावली में प्रस्तुत की गयी थी। HAND MADE WASHING SOAP की अंतर्राज्यीय खरीद के लिए आयात फार्म की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योकि उक्त वस्तु करमुक्त की श्रेणी में आता है। इस प्रकार उक्त फार्म की प्रति एवं खरीद बिल उपलब्ध न होने के कारण सत्यापन नहीं किया जा सका।

उपरोकतानुसार फार्म के दुरुपयोग होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा जांचोपरान्त कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया गया है।

अत: आयात फार्म का दुरुपयोग किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ख)

प्रस्तर 3– अर्थदंड का अनारोपन ₹ 2.82 लाख |

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 58 (1)(Vii) के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देयकर युक्ति युक्त कारण के बिना अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया जाता है तो देयकर का कम से कम 10 प्रतिशत अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क.नि.) द्वितीय वाणिज्य कर, हल्द्वानी के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि संलग्न सूची के अनुसार व्यापारियों द्वारा अपना स्वीकृत कर ₹2818609/- बिना किसी युक्ति-युक्त कारण के विलम्ब से जमा किया गया था। जिस पर नियमानुसार कम से कम 10 प्रतिशत की दर से ₹281861/- का अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

उक्त के सम्बन्ध में लेखा पेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में बताया की मा0 न्यायलय द्वारा दिए गए फैसले में व्याज सहित कर की धनराशी दिए जाने पर अर्थदंड की कार्यवाही उचित नहीं है तथा 9 दिन तक के विलम्ब को नगण्य कहा गया है , विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तर के समर्थन में कोई भी साक्ष्य लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया |

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

विलम्ब से जमा कर का विवरण

क्रम सं.	व्यापारीकानाम	क.नि. वर्ष	धनराशि(₹)	निर्धारिततिथि	जमाकरनेकीतिथि	विलम्बशुल्क अर्थदण्ड (₹)
1.	सर्व श्री आइडियल साइंटिफिक एंड डायग्नोस्टिक सेण्टर टिन न.-05005561714	2014-15	111592(प्रथम तिमाही) 84283(चतुर्थ तिमाही)	20-07-14 20-04-15	12-08-14 24-04-15	11159 8428
2.	सर्व श्री आइडियल साइंटिफिक एंड डायग्नोस्टिक सेण्टर टिन न.-05005561714	2013-14	83540(द्वितीय तिमाही)	25-01-14	15-02-14	8354
3.	सर्व श्री कृतिका कंप्यूटर टिन न.-05001564247	2013-14	65639(जुलाई) 50110(अगस्त) 55348(सितम्बर) 39388(अक्टूबर) 54093(नवम्बर) 49923(दिसम्बर) 47995(जनवरी) 147979(मार्च)	25-08-13 25-09-13 25-10-13 25-11-13 25-12-13 25-01-14 25-02-14 25-04-14	24-10-13 26-10-13 31-10-13 24-01-14 30-01-14 30-01-14 24-03-14 21-05-14	6564 5011 5535 3939 5409 4992 4799 14798
4.	सर्व श्री सनी सेनेटरी टिन न.-05001688407	2014-15	29820(नवम्बर) 79755(दिसम्बर)	20-12-14 20-01-14	22-12-14 28-01-14	2982 7975
5.	सर्व श्री प्रोमिनेंट हाउस टिन न.-05001629819	2014-15	31904(मई) 33935(जुलाई)	20-06-14 20-08-14	23-06-14 22-08-14	3190 3393
6.	सर्व श्री सी. एम्. ए.मेडिकल टिन न.-05008797537	2014-15	35526(प्रथम तिमाही) 31158(द्वितीय तिमाही) 61851(तृतीय तिमाही) 126160(चतुर्थ तिमाही)	20-07-14 20-10-14 20-01-15 20-04-15	30-08-14 21-10-14 29-01-15 23-04-15	3553 3116 6185 12616
7.	सर्व श्री अग्रवाल एजेंसीज हल्द्वानी टिन न.-05001432715	2015-16	66722(अप्रैल) 34667(मई) 27898(जून) 34053(जुलाई) 23434(अगस्त) 22531(सितम्बर) 22773(अक्टूबर) 11244(नवम्बर) 25504(दिसम्बर) 23220(जनवरी) 15337(फ़रवरी) 31624(मार्च)	20-05-15 20-06-15 20-07-15 20-08-15 20-09-15 20-10-15 20-11-15 20-12-15 20-01-16 20-02-16 20-03-16 20-04-16	21-05-15 21-06-15 21-07-15 21-08-15 21-09-15 21-10-15 23-11-15 21-12-15 21-01-16 28-03-16 28-03-16 30-05-16	6672 3466 2789 3405 2343 2253 2277 1124 2550 2322 1534 3162
8.	M/S अनुष्का इंटरप्राइजेज़	2014-15	₹36830..00 (दिसम्बर)	20/01/2015	30/01/2015	3683/-

	TIN N0. 05008711207		₹104150.00 (जून)	20/06/2014	25/07/2014	10415/-
9	M/Sडिजिटल सोलूसन TIN N0. 05007617047	2014-15	38072.00 (जून)	20/06/2014	23/07/2014	3807/-
			39701.00 (सितम्बर)	20/09/2014	14/11/2014	3970/-
			69700.00 (दिसम्बर)	20/01/2015	18/03/2015	6970/-
			37946.00 716.00 7143.00 (मार्च)	20/04/2015	06/06/2015	4580/-
10	M/Sहिमालया रेडिओग्राफी TIN N0. 0500152602	2013-14	54929.00 (दिसम्बर)	20/01/2014	17/02/2014	5493/-
11	M/Sनमन मॉल TIN N0. 05013396986 `	2014-15	15000.00 (अक्टूबर)	20/11/2014	25/11/2014	1500/-
			242766.00 (दिसम्बर)	20/01/2015	22/01/2015	24276/-
12	M/SK.B.&SONS TIN N0. 05001546302	2015-16	37945.00(दिसम्बर)	20/01/2016	30/01/2016	3794/-
			18550.00 (मार्च)	20/04/2016	30/04/2016	1855/-
13	M/Sहेमकुंड एक्सक्लूसिव TIN N0. 0500612629	2014-15	24165.00 (जनवरी)	20/02/214	04/003/2014	2416/-
14	सर्वश्री हिमजोली प्रोडक्ट टिननं0 05009104445	2013-14	525166.00 (अक्टूबर)	25/11/2013	27/11/2013	52516/-
कुल योग			₹2818609.00			₹281170

भाग2 (ख)

प्रस्तर 4- अनाधिकृत ITC का लाभ दिए जाने पर अर्थदंड का अनारोपन ₹ 20102/-

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के प्रावधानों के अनुसार इनपुट टैक्स का लाभ उत्तराखंड राज्य के किसी पंजीकृत ब्यौहारी जो धारा 15 या धारा 16 के अधीन विधिमान्य पंजीयन प्रमाण पत्र रखता है,से क्रय किया गया हो |

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित करअधिनियम 2005 की धारा58(xi) इनपुट टैक्स के लाभ के रूप में किसी धनराशि का गलत दावा करता है या किसी मिथ्या बिक्री बीजक के आधार पर इनपुट टैक्स के लाभ का दावा करता है, तोपांच हजार रुपये या दवाकृत धनराशि की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो;अर्थदण्ड हेय होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क०नि०) खण्ड-02, राज्य कर, हल्द्वानी की नमूना लेखा परीक्षा जाँच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री हिमालया स्टील प्रोडक्ट्स, नवाबीरोड, हल्द्वानी टिन न०-05001526126 के द्वारा व्यापारी देवआशीष ट्रेडर्स हल्द्वानी टिन न०-05010547805 से जो खरीद से सम्बन्धित इनपुट टैक्स का लाभ लिया गया है वह अनुमन्य नहीं था, क्योकि उपरोक्त व्यापारी का पंजीयन दिनांक: 15/02/2014 cancelled कर दिया गया था, व्यापारी से जो खरीद की गयी वह दिनांक: 02/04/2014 के बाद की गयी तथा रु 3840/- इनपुट टैक्स का लाभ लिया गया है|

इसी प्रकार व्यापारी एविस कम्प्यूटर, हल्द्वानी टिन न०- 05007745669 के द्वारा वर्ष 2014-15 में अपने ही टिन न०- 05007745669 से खरीद दिखाया गया है जिस पर ₹ 2860.72/- का इनपुट टैक्स का लाभ लिया गया है जो अनुमन्य नहीं था |

अत: उपरोक्त दोनों व्यापारियों पर (₹ 3840+₹2860.72) X3 = ₹20102.16/- का अर्थदंड लगाया जाना चाहिए |

उक्त के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा आश्वासन दिया गया कि जांचोपरांत कार्यवाही की जाएगी |

उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
SRG/CT-092008-09	1,2	1,2	-
SRG/CT-06/2009-10	-	1,1,2,3,4	-
SRA/CT-33/2010-11	1,2,4	1,4	-
CT-51/2011-12	1,2,4 (A)	1,4	-
RS/CT-12/2014-15	-	1,2	-
RS/CT-42/2016-17	-	1,3,4	-

NOTE:- प्रस्तावित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सकें।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), खण्ड-II राज्य कर, हल्द्वानी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**

   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री मानवेन्द्र सिंह	सहायक आयुक्त

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण), खण्ड-II राज्य कर, हल्द्वानी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

राजस्व क्षेत्र